

न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

मु.न.	दायर दिनांक	अ. धा.	निर्णय दिनांक
20/2017	28.08.2017	91 एल.आर.एक्ट	03.11.2017

सरकार बनाम प्रहलाद, महावीर प्रसाद, मदन, बोदूराम पि० सुणाराम जाति गुर्जर निवासी छापोली

03.11.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का छापोली नें सम्वत 2074 में इस आश्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम छापोली भूमि ख०न० 4187 रकबा 3.4100 है० किस्म गै०मु० चारागाह में से रकबा 0.50 है० पर प्रहलाद, महावीर प्रसाद, मदन, बोदूराम पि० सुणाराम जाति गुर्जर निवासी छापोली नें अवैध अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का छापोली के आधार पर प्रकरण रा० लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अतिक्रमीगण को जरिये सम्मन नोटिस अ० धा० 91 एल.आर.एक्ट के तहत तलबी सम्मन नोटिस जारी की गये।

रिपोर्ट पटवारी हल्का छापोली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतिक्रमीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध हैचूकी भूमि किस्म गै०मु० चारागाह हैं, अवैध एवं नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण अतिक्रमीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार लगातार कब्जा साबित नहीं होने के कारण नियमन की तारीफ में नहीं आता है। अतः अतिक्रमीगण को रा० लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा जेर बहस रिपोर्ट पटवारी हल्का /भू०अ०निरीक्षक को अतिक्रमी को मौके से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा पटवारी हल्का/भू०अ०नि० को लिखा जावे की अतिक्रमीगण को अतिक्रमण शुदा रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें। आदेश बेदखली पारीत होने पर पृथक से इजराई रजिस्टर में पत्रावली दर्ज की जाकर भौतिक बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर दर्ज करें।

अतिक्रमीगण द्वारा गै०मु० चारागाह भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.93 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 47/- अक्षरे सैतालिस रूपये मात्र बतौर शास्ती पैलन्टी जुर्माना आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को जमा कायमी वसुली तथा बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दर्ज फैसल होकर नम्बर शुमार से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता कार्यवाही संग्रह भण्डार हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 03.11.2017 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।

३।
तहसीलदार
उदयपुरवाटी